

पत्र संख्या : ७ब/४७०२ यो० ०२-०२/२०१९-ज.सं- ३७

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : २२/५/१९

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०१९-२० में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण हेतु रु. ४४.९०३ लाख (चौवालीस लाख नब्बे हजार तीन सौ रुपये मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-१६/१३.०२.१०, ६५/१३.१२.१७, एवं ४७/०७.०३.११

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१९-२० में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-१ में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड के अधीन दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1	माँग संख्या-५०-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ १८- चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	०५-निर्माण, ४५- निर्माण कार्य ५०८४७०२००१०११८०५४५	४४.९०३

आवंटित राशि - ₹ चौवालीस लाख नब्बे हजार तीन सौ मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-१ में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
3. आवंटित राशि वर्ष २०१९-२० के बजट उपबंध रु. ३८५.०० लाख (रु. तीन करोड़ पचासी लाख) मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३, १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ तथा २७४७(वि.), दिनांक-१९.०९.१६ के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एवं परिशिष्ट १ पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

२२/५/१९

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)


२२/५/१९  
(रमेश कुमार द्वृष्टि)  
विशेष सचिव

(आर.एस.तिगा)  
अभियंता प्रमुख-२

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यापण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrendr No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ 13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

**अनु० :-** यथोक्त




(अरुण कुमार सिंह) 21.5.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 37

रॉची, दिनांक :— 22/5/19

**प्रतिलिपि :-** महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.— हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/मेदिनीनगर/हुसैनाबाद सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुलग्नक—यथोक्त।



(अरुण कुमार सिंह) 21.5.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 37

रॉची, दिनांक :— 22/5/19

**प्रतिलिपि :-** अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक—यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

(आर.एस. तिग्गा)  
अभियंता प्रमुख—2



(अरुण कुमार सिंह) 21.5.19  
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक: - ..... ३२

/राँची, दिनांक- २२/५/१९.....

परिशिष्ट-1

माँ संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष –101-सतही जल,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 निर्माण कार्य

विपत्र कोड-50S470200101180545

बजट उपबंध (वर्ष 2019-20) ₹ 385.00 लाख (₹. तीन करोड़ पचासी लाख) मात्र।

(राशि लाख रुपये में)

क्र. 1	कार्यालय का नाम लघु सिंचाई प्रमाणित, (PLMMIR041)	जिला पलामू	प्रखण्ड लोखनीगंज	योजना का नाम कुन्द्रिया नाला पर शू. चैकडैम निर्माण	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2019 प्रसंग	वर्तमान तक का व्यय 16/13.02.10 & 65/13.12.17 Online AA-1749/13.12.17	योजना पर पूर्व का व्यय आवंटन	कुल अद्यतन आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	अन्युकृति 14
					प्रसंग	राशि						
					195.2390	189.189	0.000	6.000	6.000	195.189		
2	लघु सिंचाई प्रमाणित, हुसैनाबाद (PLMMIR044)	पलामू	हुसैनाबाद	हरही नदी पर शू. चैकडैम निर्माण	47/07.03.11 & 65/13.12.17 Online AA-1749/13.12.17	142.3500	115.060	0.000	20.140	20.140	135.200	27348
		पलामू	हरही नदी पर शू. चैकडैम निर्माण			142.1180	129.642	0.000	12.000	12.000	141.642	
				योग	479.70700	433.891	0.000	38.140	38.140	472.031		
				योग	773.38000	677.306	0.000	44.903	44.903	722.209		

आवंटत राशि – ₹ चौवालीस लाख नब्बे हजार तीन सौ मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (आम)

(रमेश कुमार दुबी)  
विशेष सचिव

(आर.ए.राज तिगांगा)  
अधिकारी प्रमुख-2

अपर मुख्य सचिव

(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव